कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाए एंव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
अजमेर

कमांक फा/संस्था/अजमेर/ 2422 **दिनांक** 29/5/2018

श्री अमित शास्त्री

सचिव, आर्यभट्ट एकेडमी सोसायटी

अजमेर ।

विषयः– संविधान संशोधन बाबत ।

प्रसंगः– आपका पत्र दिनांक 11.5.2018 के कम मे ।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के कम म`लेख है कि आप द्वारा दिनांक 11.5.2018 को प्रस्तुत संस्था के संविधान मे संशोधन कर पत्रादि प्रस्तुत की है । राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संविधान संशोधन कर संशोधन की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
अजमेर

u-o-note

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003

दिनांक 17-07-2002

क्र.सं	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान
1	1	संस्था का नाम – इस संस्था का नाम आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी अजमेर, राजस्थान है व रहेगा।	यथावत
	2	पंजिकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र – महिला कल्याण मंडल के पीछे चाचियावास छतरी रोड, चाचियावास है व रहेगा, एवं इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सिमीत रहेगा।	यथावत
	3	संस्था के उद्देश्य – इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है – 1 मानव के सर्वांगीण समुस्थान के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण (प्राइमरी शिक्षा से प्रारंभ कर उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य) 2 यथोचित रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना। 3 सदधर्म प्रचारार्थ संगोष्ठी, शिविर आदि का आयोजन, एतदर्थ साहित्य, पत्र – पत्रिकाओं का प्रकाशन। 4 योग एवं आध्यात्म तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना। (योगाभ्यास का नियमित प्रशिक्षण) 5 अनुसूचित जाति, जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करना। (विभिन्न राजिय सेवाओं के लिए तैयार करना)	1 यथावत 2 यथावत 3 यथावत 4 यथावत 5 यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

FOR A...
कोषाध्यक्ष TREASURER
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		6 परित्यक्ता, विकलांग एवं अनाथों की सहायता करना (पुनर्वास, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था करना)	6 यथावत
		7 रोजगारोन्मुखी कला, शिल्पदी का प्रशिक्षण (काष्टकला, सीवनकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि)	7 यथावत
		8 छात्र – छात्राओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविध्यालय आदि स्तर के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें संचालित करना।	8 यथावत
		9 व्यावसायिक शिक्षा (एस. टी. सी, बी.एड, एम.एड, एम.फिल, पी.एच.डी आदि के संसथान खोलने और उन्हें संचलित करना।	9 यथावत
		10 तकनीकी शिक्षा (आई. टी. आई. डिप्लोमा, पोलोटेकनिक, इंजीनियरिंग आदि) के लिए शिक्षण संसथान खोलना और उन्हें संचालित करना।	10 यथावत
		11 पिछड़े, गरीब, अनाथ विकलांग अनु जाति, अनु. जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना।	11 यथावत
		12 परिवार नियोजन, एड्स, लेप्रोसी यौनशिक्षा तथा सवास्थय के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना।	12 यथावत
		13 शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान एवं परिचर्चाएं आयोजित करना।	13 यथावत
		14 शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन केंद्र संचालित करना।	14 यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

TREASURER

अध्यक्ष ((हस्ताक्षर) मंत्री(हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्र सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		15 औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता आदि के क्षेत्र में कार्य करना ।	15 यथावत
		16 केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विभागों व मंत्रालयों, देश विदेश की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओ, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिओं आदि से आर्थिक व अन्य सहयोग प्राप्त कर विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करना ।	16 यथावत
		17 शिक्षा के क्षेत्र में टंकण, शीघ्रलिपि, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा, नर्सिंग, फार्मेसी व पशुपालन व चिकित्सा सम्बन्धी आदि के प्रशिक्षण संस्थान खोलना व उन्हें संचालित करना ।	17 शिक्षा के क्षेत्र में टंकण, शीघ्रलिपि, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा, नर्सिंग, फार्मेसी व पशुपालन व चिकित्सा सम्बन्धी, होमियोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी चिकित्सा, हर्बल, सिद्ध, कंपो , रेइकी, फेथ हीलिंग, ओस्टेओपेथी, चिनिएस मेडिसिन, खेल कूद के संसथान, एक्यूपंक्चर, चिरोप्रेक्टिक, एलोपैथिक, आयुष शिक्षण, संवर्दन आदि के प्रशिक्षण संस्थान खोलना व उन्हें संचालित करना
		18 संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं स्वेच्छिक व वैतनिक दोनों प्रकार से लेना ।	18 यथावत
		19 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा इसके केंद्र एवं राज्य सर्कार के विभागों व वितीय संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों से ऋण अनुदान, चंदा उपहार व अन्य सहयोग प्राप्त करना ।	19 यथावत

For Aryabhatta Academic Society
President

For Aryabhatta Academic Society
Secretary

For Aryabhatta Academic Society
Treasurer

		20 अनु. जाति, जनजाति पिछड़े व गरीब बालक बालिकों के लिए छात्रावासों का संचालन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षण संस्थान तक परिवहन की व्यवस्था करना।	20 यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)
PRESIDENT

मंत्री
(हस्ताक्षर)
SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

For Aryabhatta Academic Society
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)
TREASURER

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्र सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		21 ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना जो राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत हो तथा जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसका जीवन ग्रामीण नववासी, झुगी-झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन -दुखी, अभावग्रस्त व्यक्तियों को सामाजिक कुरूतियों, शोषण एवं अन्य पीड़ाओं से मुक्त कराकर राष्ट्र को समर्पित हो।	21 यथावत
		22 विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए नियमित दुरुस्त व पत्राचार पर आधारित शिक्षा केन्द्रों (संस्थानों) का संचालन करना।	22 यथावत
		23 छात्र-छात्रओं के लिए शिक्षण संस्थानों के निर्माण तथा संस्था के उद्देश्य से सम्बंधित दूसरे विकास कार्यों के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों तथा गैर-वित्तीय संस्थानों एवं व्यक्तियों से संस्था की सम्पत्ति गिरवी रख कर ऋण प्राप्त करना।	23 यथावत
		24छात्र - छात्राओं के लिए विभिनन प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टर खोलना और उन्हें संचालित करना।	24 यथावत
		25छात्र-छात्राओं के लिए उच्च कोटि के खेल प्रशिक्षण संसथान खोलना उन्हें संचालित करना।	25 यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
TREASURER
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
	4	सदस्यता – निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे 1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो 2 बालिग हो । 3पागल, दीवालिये न हो । 4 संस्था के उद्देश्य में रूचि व आस्था रखते हो । 5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो ।	यथावत
	5	सदस्यों का वर्गीकरण – संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे – 1 संरक्षक 2 विशिष्ट 3 सम्माननीय 4 साधारण (जो लागू न हो, उसे कट दीजिये)	यथावत
	6	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा - उपनियम संख्या 5 में सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चंदा देय होगा । 1 संरक्षक राशि 5000/- आजन्म 2 विशिष्ट राशि 2100 /- आजन्म 3 सम्माननीय राशि 1000/- वार्षिक	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
TREASURER
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		4 साधारण राशि 100 - वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
	7	सदस्यता से निष्कासन - संस्तः के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया सकेगा - 1 मृत्यु होने पर 2 त्याग-पत्र देने पर 3 संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4 प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर उक्त प्रकार के निष्कासित की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जाएगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	यथावत
	8	साधारण सभा - संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	यथावत
	9	साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य – साधारण सभा के निम्न अभिकार और कर्त्तव्य होंगे – 1 प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2 वार्षिक बजट पारित करना। 3 प्रबंधकारिणी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
TREASURER
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)	
	10	साधारण सभा के बैठकें – 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2 साधारण सभा के बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाएगी। 4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुन: 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। 5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये।	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
TREASURER
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

दिनांक 17-07-2002

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जरी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।	
	11	कार्यकारिणी का गठन - संस्था के कार्य को सुंचारू रूप से चलने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे - 1 अध्यक्ष – एक 2 मंत्री – एक 3 कोषाध्यक्ष – एक 4 सदस्य – तीन 5 उपमंत्री – एक (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य होंगे अर्थात कुल 7 सदस्य होंगे।	यथावत
	12	कार्यकारणी का निर्वाचन – 1 संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

PRESIDENT

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
TREASURE
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		2 प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना । **3 मंत्री** 1 बैठकें आहूत करना । 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना 3 आय-व्यय पर नियंत्रण करना । 4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यांत्रा बिल आदि पास करना । 5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना । 6 पत्र-वयवहार करना । 7 संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो । **4 उपमंत्री** 1 मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना । 2 अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जायें । **5 कोषाध्यक्ष** 1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना । 2 दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना । 3 चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना । 4 अन्य प्रदत्त कार्य संपन्न करना ।	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

PRESIDENT

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

मंत्री
(हस्ताक्षर)

For ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
TREASURER

कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		2 चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा के जावेगी।	
	13	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य – संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी व कर्त्तव्य होंगे - 1 सदस्य बनाना/निष्कासित करना । 2 वार्षिक बजट तैयार करना। 3 संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4 वैतनिक कर्मचरियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण व सेवा मुक्त करना । 5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।	
	14	कार्यकारिणी की बैठकें - 1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी 2 बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3 बैठक को सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की	1 यथावत 2 यथावत 3 यथावत

For Aryabhatta Academic Society President

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
कोषाध्यक्ष TREASURER
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003

दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
		सुचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है : 4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थिति में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	4 यथावत
	15	प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य - संख्या की प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे - **1 अध्यक्ष** 1. बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. बैठकें आहूत करना । 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। **2 उपाध्यक्ष** 1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

BRSharda
अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

PR

SECRETARY For Aryabhatta Academic Society
मंत्री
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
(हस्ताक्षर)

कोषाध्यक्ष TREASURER
(हस्ताक्षर)

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003 दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
	16	संख्या का कोष – संक्या का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा – 1 चंदा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान 6 संस्था के चल/अचल सम्पत्ति को गिरवी रख संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी वितीय संस्थानों, गैर वितीय संस्थानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ऋण, अनुदान व अन्य सहायता प्राप्त करना। 1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी। 2 अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही एक पदाधिकारियों के हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।	यथावत
	17	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार – संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संख्या की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे – 1 अध्यक्ष 500000/- (पांच लाख मात्र) 2 मंत्री 100000/- (एक लाख मात्र) 3 कोषाध्यक्ष 25000/- (पचीस हजार मात्र) उपरोक्त राशी का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाएगी।	यथावत
	18	संस्था का अंकेक्षण – संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा	यथावत

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

For Aryabhatta Academic...
TREASU

संस्था का नाम – आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी, अजमेर

क्रमांक 53 / अजमेर / 2002-2003

दिनांक 17-07-2002

क्रं सं	विधान की धारा संख्या	पंजिकृत विधान	संशोधित विधान
	19	संस्था के विधान में परिवर्तन - संस्था के विधान में अवश्कतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 223 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत
	20	संस्था का विघटन – यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, जो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति के समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जाएगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	यथावत
	21	संस्था के लेखे जोखे का निरिक्षण – रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर को संस्था के रिकॉर्ड का निरिक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जाएगी।	यथावत

रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

PRESIDENT

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society
TREASURER
कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को हुए चुनाव में निम्न कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से निर्वाचन घोषित किया गया।

क्रं. सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	सम्पुष्टि
1	डा.बी.आर शास्त्री पुत्र - श्री शिव हर्ष	रिटायर्ड प्रोफेसर	ए - 71 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	B.R.Shastri
2	श्री अमित शास्त्री पुत्र - श्री डा.बी.आर. शास्त्री	व्यवसाय	ए - 71 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	Amitshastri
3	श्रीमती रिद्धिमा शास्त्री पुत्री – श्री विजय अरोरा	शिक्षिका	42 भगवानपुरा वार्ड नं. 32 ए ए अजमेर	Riddhima
4	श्रीमती शांति देवी पत्नी - श्री बी.आर. शास्त्री	गृहकार्य	ए - 71 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	शांति देवी
5	श्री विजय अरोरा पुत्र – श्री नाथूराम अरोरा	लेखा अधिकारी	42 भगवानपुरा वार्ड नं. 32 ए ए अजमेर	विजय अरोरा
6	श्रीमती शकुंतला अरोरा पत्नी – श्री विजय अरोरा	गृहकार्य	42 भगवानपुरा वार्ड नं. 32 ए ए अजमेर	शकुन्तला
7	डॉ सुनंदा यादव पत्नी – डॉ. शक्तिराज शास्त्री	शिक्षिका	ए - 71 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	Sunanda
8	श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र – श्री महेशचंद्र अग्रवाल	प्राइवेट जॉब	अम्बेश्री कॉलोनी, विज्ञान नगर, अजमेर	D.agrawal
9	डॉ. शक्तिराज शास्त्री पुत्र – श्री लेखराम आर्य	प्राइवेट जॉब	ए - 71 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	शक्तिराज
10	डॉ. अनंदा यादव पत्नी – श्री राम भरोसे यादव	प्राइवेट जॉब	ए - 72 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	अनन्दा
11	श्री. राम भरोसे यादव पुत्र – श्री नाथू सिंह यादव	प्राइवेट जॉब	ए - 72 चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर	R.B.yadav
12	श्री. निशांत अरोड़ा पुत्र – श्री विजय अरोड़ा	प्राइवेट जॉब	C-220 , मुन्ने कोलै , बैंगलोर	Nishant
13	डॉ. मांगी लाल मेहता पुत्र - श्री सी . दी मेहता	प्राइवेट जॉब	नियर गीता भवन , चाँद गेट, बीआवर (अजमेर)	M.L.mehta

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY
B.R.Shastri
PRESIDENT

Amitshastri
SECRETARY
ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

For Aryabhatta Academic Society
Riddhima
TREASURER

14	श्रीमती अमीता आहलुवालिया पत्नी – श्री प्रदीप आहलुवालिया	प्राइवेट जॉब	C-590, नीति पथ, स्टेफन्स स्कूल के सामने , पंचशील , माकड़वाली रोड , अजमेर	अनिता
15	मिस मधु अरोरा पत्नी - श्री नाथू लाल अरोड़ा	प्राइवेट जॉब	माकन संख्या 696/15 , पाल बीचला , विनय नगर ,अजमेर	मधु

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

B. Shastri

PRESIDENT

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर)

FOR ARYABHATTA ACADEMIC SOCIETY

SECRETARY

मंत्री
(हस्ताक्षर)

For Aryabhatta Academic Society

TREASURER

कोषाध्यक्ष
(हस्ताक्षर)